विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा० सदस्य विधान, परिषद् द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-29 का उत्तर :-

प्रश्न	उत्तर
29 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सचिवालय प्रशासन में राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित है?	जी हाँ, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के नियम 56 (क) की व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अन्य शासकीय विभागों की भांति उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग में भी राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित है।
(ख) यदि हॉ, तो क्या सचिवालय प्रशासन में राजपत्रित अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जाता है?	सामान्यत: सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा राजपत्रित अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किसी अधिकारी को वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त कर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त सेवा विस्तार प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
(ग) यदि हॉ, तो सेवा विस्तार दिये जाने की नीति का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) क्या सभी कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिये जाने पर विचार करेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।
(ड़) यदि हॉ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(च) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।